राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2017 जयपुर, दिनांक: 07.02.2018

आवंटन आदेश माह मार्च, 2018
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक 1–8/2013–बी.पी.–III दिनांक 26.09.2013 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवारों सहित) हेतु माह मार्च, 2018 हेतु गेहूँ का जिलेवार उप आवंटन संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार किया जाता है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उप आवंटन एवं उठाव के दौरान निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सभी पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना अनिवार्य है। खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय एवं अन्य पात्र" परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक 01.02.2018 की अद्यतन संख्या के आधार पर माह मार्च, 2018 का आवंटन, ऑफलाइन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्द्वारा जिलेवार किया जाता है।

2. जिले को आवंटित कुल खाद्यान्न मात्रा में से आवश्यकता अनुसार उचित मूल्य दुकानों को उप–आवंटन का अधिकार जिला रसद अधिकारी को होगा। उचित मूल्य दुकानदार को किये गये आवंटन की प्रविष्टियाँ दिनांक 12.02.2018 तक आवश्यक रूप से विभागीय फीस्ट पोर्टल पर करें।

3. जिला रसद अधिकारी द्वारा उचित मूल्य दुकानवार उप–आवंटन चार श्रेणियों में पृथक्–पृथक् संलग्न प्रपत्रानुसार किया जावेगा। (परिशिष्ठ–1, 2, 3 व 4 संलग्न है।) यह श्रेणियाँ निम्नानुसार हैं:–

   1. नियमित रूप से संचालित उचित मूल्य दुकानें।
   2. विभिन्न कारणों से अटैच उचित मूल्य दुकानें।
   3. 01 फरवरी, 2018 को 50 क्विं0 से 100 क्विं0 एवं 100 क्विं0 से अधिक प्रारम्भिक स्टॉक वाली उचित मूल्य दुकानें।
   4. ऑफलाइन वितरण वाली उचित मूल्य दुकानें।

4. संभागीय जिला मुख्यालय हेतु आवंटित मात्रा का सम्बंधित जिला रसद अधिकारी (शहर) एवं जिला रसद अधिकारी (ग्रामीण) समन्वय स्थापित कर जिला कलक्टर की अनुशंषा के आधार पर उठाव एवं वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें।

5. जिलेवार खाद्यान्न का आवंटन जिले की कुल ऑफ लाइन दुकानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए किया गया है। इस हेतु कोई भी अतिरिक्त आवंटन देय नहीं होगा।

6. **मार्च माह हेतु जिलों को खाद्यान्न आवंटन निर्धारित अन्त्योदय एवं अन्य पात्र परिवार हेतु पात्रता अनुसार किया जा रहा है। जिलों द्वारा उठाव उचित मूल्य दुकानवार स्टॉक की भौतिक उपलब्धता के आधार पर आवश्यकतानुसार किया जाकर शेष मात्रा समर्पित किए जाने का विकल्प होगा। जिला रसद अधिकारी का दायित्व होगा कि उचित मूल्य दुकानवार मार्च माह हेतु वांछित आवंटन मात्रा अनुसार उठाव करें। फरवरी माह में वितरण प्राप्त नही करने वाले लाभार्थियों को भी मार्च माह में पात्रता अनुसार वितरण करवाया जाना सुनिश्चित करें।**

7. मार्च माह के आवंटन के दौरान 100 क्विं0 से अधिक एवं 50 से 100 क्विं0 की श्रेणी वाली दुकानों (विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध) हेतु आवंटन सावधानी पूर्वक करें तथा उक्त दुकानों पर उपलब्ध वितरण से शेष गेहूँ को मार्च माह के आवंटन में समायोजित करें, ताकि 31 मार्च, 2018 तक वित्तीय वर्ष का आवंटन–वितरण बैलेन्स समायोजित किया जा सके।

8. समर्पित गेहूँ की मात्रा का विवरण उचित मूल्य दुकानवार संधारित करावें ताकि आवश्यकतानुसार समर्पित मात्रा को आगामी माह में समायोजित किया जा सके। समर्पित मात्रा की प्रतिलिपि उपायुक्त (द्वितीय), प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर एवं तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., जयपुर को भी भिजवायें।

इस विभाग द्वारा गेहूं उठाव बाबत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2014 अनुसार माह मार्च, 2018 तक का **उठाव उसके पूर्व माह की अंतिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित करें।**

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(अंजू राजपाल)
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2017 जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त, जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, (क्षेत्र) क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, 4 नेहरू प्लेस, टोंक रोड जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, जयपुर।
8. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत माह मार्च, 2018 हेतु आवंटित गेंहू की मात्रा की निर्धारित अवधि में राशि जमा कराकर उठाव सुनिश्चित् करावें। **गेहूं उठाव की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात बिना किसी ठोस वजह के गेहूं उठाव एवं राशि जमा कराने की वैधता अवधि का विस्तार नही किया जायेगा।**
9. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग इस आदेश को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करें।
10. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवार एवं अन्य पात्र लाभार्थी) हेतु जिलेवार आवंटन माह मार्च, 2018

क्र.स.	जिला	प्रतिमाह आवंटित मात्रा (मात्रा मै0 टन में)
1	अजमेर	8124
2	अलवर	12811
3	बांसवाडा	9220
4	बारां	5463
5	बाडमेर	9723
6	भरतपुर	8015
7	भीलवाडा	8015
8	बीकानेर	7169
9	बून्दी	3499
10	चित्तौडगढ	5595
11	चूरू	7046
12	दौसा	5625
13	धौलपुर	4278
14	डूंगरपुर	7207
15	गंगानगर	5651
16	हनुमानगढ	4965
17	जयपुर	14108
18	जैसलमेर	2185
19	जालोर	6211
20	झालावाड	5565
21	झुन्झनूं	5510
22	जोधपुर	10371
23	करौली	5260
24	कोटा	5036
25	नागौर	10987
26	पाली	6892
27	प्रतापगढ	3995
28	राजसमन्द	4363
29	सवाईमाधोपुर	4447
30	सीकर	8638
31	सिरोही	4261
32	टोंक	4884
33	उदयपुर	13575
	कुल	228694

प्रपत्र--1

नियमित संचालित उचित मूल्य दुकानों हेतु खाद्यान्न का उप आवंटन

माह मार्च, 2018 (खाद्यान्न की मात्रा क्विं. में)

कुल उचित मूल्य दुकानों की संख्या.............. कुल खाद्यान्न मात्रा............

क्र.सं.	उ.मू.दु. का नाम	उ.मू.दु. का कोड	पता	एएवाई			पीएचएच			1 फरवरी, 2018 को प्रारम्भिक स्टॉक	मार्च माह हेतु आवंटन मात्रा	पोस में चढ़ाई जाने वाली मात्रा
				कुल राशन कार्ड	कुल यूनिट	वांछित खाद्यान्न मात्रा	राशन कार्ड सं.	यूनिट संख्या	वांछित खाद्यान्न मात्रा			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)	(8 = 5 + 6)	(9 = 8 - 7)

प्रपत्र–2

अटैच उचित मूल्य दुकानों हेतु खाद्यान्न आवंटन

(समस्त अटैच दुकानों हेतु)

माह मार्च, 2018

(खाद्यान्न की मात्रा क्विं. में)

कुल उचित मूल्य दुकानों की संख्या............

कुल खाद्यान्न मात्रा...........

क्र.सं.	उ.मू.दु. का नाम	उ.मू.दु. का कोड	वितरणकर्ता दुकान का एफपीएस कोड	एएवाई			पीएचएच			1 फरवरी, 2018 को प्रारम्भिक स्टॉक	मार्च माह हेतु आवंटन मात्रा	पोस में चढ़ाई जाने वाली मात्रा
				कुल राशन कार्ड	कुल यूनिट	वांछित खाद्यान्न मात्रा	राशन कार्ड सं.	यूनिट संख्या	वांछित खाद्यान्न मात्रा			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)	(8 = 5 + 6)	(9 = 8 - 7)

प्रपत्र–3

100 क्वि. से अधिक एवं 50 से 100 क्वि. के प्रारम्भिक स्टॉक वाली उचित मूल्य दुकानों हेतु उप आवंटन

(मात्र नियमित संचालित दुकानों हेतु)

माह मार्च, 2018

(खाद्यान्न की मात्रा क्वि. में)

50 से 100 क्वि. प्रारम्भिक स्टॉक वाली उ0मू0दु0 की संख्या.........., एवं उक्त दुकानों को आवंटित गेहूं की मात्रा..........

100 क्वि. से अधिक प्रारम्भिक स्टॉक वाली उ0मू0दु0 की संख्या.........., एवं उक्त दुकानों को आवंटित गेहूं की मात्रा..........

क्र.सं.	उ.मू.दु. का नाम	उ.मू.दु. का कोड	पता	एएवाई			पीएचएच			1 फरवरी, 2018 को प्रारम्भिक स्टॉक	मार्च माह हेतु आवंटन मात्रा	पोस में चढ़ाई जाने वाली मात्रा
				कुल राशन कार्ड	कुल यूनिट	वांछित खाद्यान्न मात्रा	राशन कार्ड सं.	यूनिट संख्या	वांछित खाद्यान्न मात्रा			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)	(8 = 5 + 6)	(9 = 8 - 7)

प्रपत्र–4

ऑफलाईन वितरण वाली उचित मूल्य दुकानों हेतु उप आवंटन

माह मार्च, 2018

(खाद्यान्न की मात्रा क्विं. में)

कुल उचित मूल्य दुकानों की संख्या....................

कुल खाद्यान्न मात्रा...........

क्र.सं.	उ.मू.दु. का नाम	उ.मू.दु. का कोड	पता	एएवाई			पीएचएच			10 जनवरी, 2018 को प्रारम्भिक स्टॉक	मार्च माह हेतु आवंटन मात्रा	वास्तविक उठाव योग्य मात्रा
				कुल राशन कार्ड	कुल यूनिट	वांछित खाद्यान्न मात्रा	राशन कार्ड सं.	यूनिट संख्या	वांछित खाद्यान्न मात्रा			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)	(8 = 5 + 6)	(9 = 8 - 7)